रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 160] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 1983/चैत्र 10, 1905
No. 160] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 1983/CHAITRA 10, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

(कम्पनी विधि बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1983

का० आ० 270(अ).—कम्पनी विधि बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि एंड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड जो इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1913 (1913 का 7) के अधीन निगमित कम्पनी है तथा उसकी दो विनिधान समनुषंगी कम्पनियों का, अर्थात् क्लाइव रो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, जो इण्डियन कम्पनीज ऐक्ट, 1913 (1913 का 7) के अधीन निगमित कम्पनी है और उसके पूर्णतः स्वामित्व में को समनुषंगी कम्पनी चितपुर गोलाबारी कम्पनी लिमिटेड, जो इण्डियन कम्पनीज एक्ट, 1882 (1882 का 6) के अधीन निगमित कम्पनी है और इन तीनों कम्पनियों में से प्रत्येक, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 के अर्थ में कम्पनी है, एक कम्पनी में समामेलन किया जाना चाहिए;

और उस आदेश के प्रारूप की एक प्रति, जिसके करने की प्रस्थापना थी, पूर्वोक्त कम्पनियों अर्थात् चितपुर गोलाबारी कम्पनी लिमिटेड, क्लाइव रो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड और एंड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड को भेजी गई थी और कोई भी आक्षेप या सुझाव उनसे या किसी अन्य व्यक्ति से कम्पनी विधि बोर्ड को प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब, कम्पनी विधि बोर्ड, भारत सरकार के कम्पनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं० सा०का०नि० 443 (अ), तारीख 18 अक्तूबर, 1972 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 396 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम** : इस आदेश का संक्षिप्त नाम चितपुर गोलाबारी कम्पनी लिमिटेड, क्लाइव रो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड और एंड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (समामेलन) आदेश, 1983 है ।

2. **परिभाषाएं** : इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको यह आदेश राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है ;

(ख) "विघटित कम्पनियों से अभिप्रेत है चितपुर गोलाबारी कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् चितपुर कहा गया है) और क्लाइव रो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् क्लाइव रो कहा गया है),

(ग) "नवगठित कम्पनी" से एंड्रू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् यूल कहा गया है) अभिप्रेत है ।

3. **कम्पनियों का समामेलन** .

(i) नियत दिन को विघटित कम्पनियों के उपक्रम, उस पर के विल्लंगमों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए, यूल को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे और यह कम्पनी ऐसे अन्तरण पर तुरन्त ऐसे समामेलन को नवगठित कम्पनी समझी जाएगी ।

(ii) लेखा कार्य के प्रयोजनों के लिए समामेलन, इन तीनों कम्पनियों की 31 मार्च, 1982 को विद्यमान लेखा परीक्षा किए गए लेखा और तुलनपत्र के प्रतिनिर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात् किए गए संव्यवहारों को एक सामान्य लेखा में पूल किया जाएगा । विघटित कम्पनियों से किसी पश्चात्वर्ती तारीख का यथाविद्यमान अंतिम लेखा तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और नवगठित कम्पनी 31 मार्च, 1982 को यथाविद्यमान तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियों और दायित्वों को ग्रहण कर लेगी और उसके पश्चात् हुए सभी संव्यवहारों का पूरा उत्तरदायित्व स्वीकार करेगी ।

स्पष्टीकरण : "विघटित कम्पनियों के उपक्रम" के अन्तर्गत नियत दिन के ठीक पूर्व सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी जंगम और स्थावर सम्पत्ति हैं जिनके अन्तर्गत नकद अतिशेष आरक्षितियां, आमदनी अतिशेष, विनिधान तथा ऐसी सम्पत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य हित और अधिकार हैं जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कम्पनियों के हैं या उनके कब्जे में हैं और उनसे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज हैं और विघटित कम्पनियों के उस समय विद्यमान सभी ऋण, दायित्व, शुल्क और बाध्यताएं भी हैं चाहे वे किसी भी प्रकार की हों ।

4. **सम्पत्ति की कुछ मदों का अन्तरण** :—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को विघटित कम्पनियों के सभी लाभ और हानियां या दोनों, यदि कोई हों, और आमदनी आरक्षितियां या कमियां या दोनों, यदि कोई हों, जब नवगठित कम्पनी को अन्तरित की जाएं नवगठित कम्पनी के, यथास्थिति, लाभ या हानि तथा आमदनी आरक्षिति या कमी का भाग बन जाएंगी ।

5. **संविदाओं आदि की व्यावृत्ति** :—इस आदेश में अन्तर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी संविदाएं, विलेख, बंधपत्र, करार और अन्य लिखतें, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जिनमें विघटित कम्पनियां पक्षकार हैं और जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावशील थीं, नवगठित कम्पनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतः बलशील और प्रभावशील होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो विघटित कम्पनियों के बजाय नवगठित कम्पनी उनकी एक पक्षकार थी ।

6. **विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति**:—यदि नियत दिन को विघटित कम्पनियों द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही लम्बित हो तो विघटित कम्पनियों के उपक्रमों का नवगठित कम्पनी को अन्तरित हो जाने के कारण या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण, उनका उपशमन नहीं होगा या वे बन्द नहीं होंगी अथवा किसी भी प्रकार उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वाद, अभियोजन, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही, नवगठित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक जारी रखी जा सकेगी, अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकेगी जिस रीति से और जिस सीमा तक वह, इस आदेश के न किए जाने की दशा में उस विघटित कम्पनियों द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जाती, अभियोजित और प्रवर्तित की जाती या चालू रखी जा सकती थी, अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकती थी ।

7. **चितपुर या क्लाइव रो के साधारण शेयर धारकों के अधिकार** :

(i) चितपुर की पूर्ण रूप से समादत्त प्रति 100 रुपये के 27,010 साधारण शेयरों में विभक्त 27,010000 रुपये की संपूर्ण पुरोधृत और अभिदत्त शेयर पूंजी, क्लाइव रो द्वारा धारित है और क्लाइव रो के उपक्रम इस आदेश के आधार पर यूल में निहित है, चितपुर की शेयर पूंजी में क्लाइव रो का पूर्वोक्त धारण रद्द हो जाएगा और इस आदेश के आधार पर यूल के साथ सी०जी०सी० के समामेलन के कारण यूल द्वारा शेयर पुरोधृत नहीं किए जाएंगे ।

(ii) (क) नियत दिन को क्लाइव रो को, पूर्ण रूप से समादत्त प्रति 10 रुपये के 13,88,000 साधारण शेयरों में विभक्त 1,38,80,000 रुपये की कुल शेयर पूंजी में से 13,45,896 साधारण शेयर यूल द्वारा धारित है ।

परिणामस्वरूप क्लाइव रो की पूंजी में 13,15,896 साधारण शेयरों के पूर्वोक्त धारण की बाबत यूल की पूंजी में शेयरों को पुरोधृत नहीं किया जाएगा और पूर्वोक्त शेयर इस आदेश के आधार पर रद्द हो जाएंगे । क्लाइव रो की पूंजी

में शेष 42,104 साधारण शेयरों के संबंध में, यूल, नियत दिन के पश्चात् क्लाइव रो में पूर्वोक्त 42,104 साधारण शेयरों के अलग-अलग धारकों को सम-मूल्य पर आबंटन द्वारा, यूल में साधारण शेयर, यूल के संबंधित शेयर प्रमाणपत्र के निविदान के विरुद्ध नियत दिन के ठीक पूर्ववर्ती तारीख को उनके द्वारा क्लाइव रो में प्रति 10 रुपये के पूर्ण रूप से समादत्त प्रत्येक 4 साधारण शेयर के लिए यूल में प्रति 10 रुपये के पूर्ण रूप से समादत्त 5 साधारण शेयर के अनुपात में, पुरोधृत करेगी और यूल द्वारा पुरोधृत और इस प्रकार पुरोधृत साधारण शेयर, यूल के विद्यमान पुरोधृत साधारण शेयरों से तुलनात्मक दृष्टि से एक समान दर्जे के होंगे ।

(ख) यदि उपरोक्त उपखण्ड (क) के अनुसार यूल द्वारा शेयरों के आबंटन में कोई भिन्नांश अंतर्ग्रस्त है तो ऐसे भिन्नांश को समेकित किया जाएगा और इस प्रकार समेकित शेयर, यूल के निदेशक बोर्ड द्वारा यूल के किन्हीं एक या अधिक निदेशकों या कर्मचारियों को आबंटित किए जाएंगे जो उक्त समेकित शेयरों का ऐसी कीमत या कीमतों पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर विक्रय करेंगे जो यूल के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित की जाएं और उनका शुद्ध विक्रय आगम, क्लाइव रो में उन संबंधित साधारण शेयरधारकों में विभाजित किया जाएगा जो अपने-अपने हकों के अनुपात में ऐसे भिन्नांश के लिए अन्यथा हकदार होते ।

(ग) क्लाइव रो के किसी अनिवासी सदस्य को यूल द्वारा साधारण शेयरों का आबंटन और उपरोक्त उपखण्ड (क) और (ख) के अनुसार संदाय, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन रहते हुए किया जाएगा ।

(घ) यूल एक सूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा क्लाइव रो (यूल से भिन्न) में प्रत्येक साधारण शेयरधारक को जिसका नाम उपरोक्त उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट तारीख को क्लाइव रो के सदस्यों के रजिस्टर में प्रविष्ट है, भेजेगा जिसमें यूल द्वारा नए शेयरों के आबंटन और उपरोक्त उपखण्ड (ख) में उपबंधित रीति से भिन्नांश शेयरों के व्ययन की विशिष्टियां दी जाएंगी । उपरोक्त सूचना में यूल के निदेशक बोर्ड द्वारा नियत की गई उस तारीख का भी उल्लिखित किया जाएगा जिसको या जिसके भीतर क्लाइव रो (यूल से भिन्न) में साधारण शेयरों के अलग-अलग धारक क्लाइव में साधारण शेयरों के लिए संबंधित प्रमाणपत्र यूल को अभ्यर्पित करेंगे और ऐसे अभ्यर्पण के पश्चात यूल (i) उपरोक्त उपखंड (क) के अधीन आबंटित यूल में साधारण शेयरों के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगी और (ii) उपरोक्त (ख) के निबंधनों के अनुसार संदाय करेगी, जहां वह शोध्य हो । (ङ) जहां क्लाइव रो के साधारण शेयर नियत दिन के पूर्व सम्यक रूप से अंतरित कर दिए गए हैं किन्तु वे क्लाइव रो को अंतरण के रजिस्ट्रीकरण के लिए नियत दिन के पूर्व प्राप्त नहीं हुए हैं वहां ऐसे शेयरों का अंतरिती, उपरोक्त उप-खंड (घ) में निर्दिष्ट यूल के निदेशक बोर्ड द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व यूल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर (i) अंतरण का सम्यकतः निष्पादित लिखत (ii) क्लाइव रो में शेयरों के संबंधित प्रमाण पत्र, उपरोक्त उपखण्ड (क) में उल्लिखित अनुपात में यूल में शेयरों के प्रमाणपत्र प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(च) इस खंड में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी विधि बोर्ड, इस खंड के अनुसार यूल द्वारा साधारण शेयरों के पुरोधरण या आबंटन की बाबत किसी प्रश्न या कठिनाई का निपटारा करेगा ।

8. कराधान की बाबत उपबन्ध :—नियत दिन के पूर्व विघटित कंपनियों द्वारा किए गए कारबार के लाभों और अभिलाभों की बाबत सभी कर नवगठित कंपनी द्वारा उस सीमा तक संदेय होंगे जिस सीमा तक वे इस आदेश के न किए जाने की दशा में, उन विघटित कंपनियों द्वारा संदेय होते ।

9. विघटित कम्पनियों के अधिकारियों और कर्मचारियों की बाबत उपबन्ध :—विघटित कंपनियों में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी जिनके अंतर्गत (विघटित कंपनियों के निदेशक नहीं हैं), नियत दिन से ही, नवगठित कंपनी का यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी बन जाएगा । और वह उसमें अपना पद या अपनी सेवा वैसी ही सेवावधि पर और निबंधनों और शर्तों पर, वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जो वह, इस आदेश के न किए जाने की दशा में, उस विघटित कंपनी के अधीन धारण करता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक नवगठित कंपनी में उसका नियोजन सम्यक् रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तें पारस्परिक सहमति द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं ।

10. खिलपुर या क्लाइव रो द्वारा स्थापित भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि:—विघटित कंपनियां और नवगठित कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारी राज्य निधियां विभिन्न भविष्य/अधिवार्षिकी निधि संस्था (जो संबंधित कर्मचारियों के फायदे के लिए

स्थापित की गई है) के सदस्य है और संबंधित कंपनियां उक्त निधि में अपने-अपने अभिदाय करती रही हैं । विघटित कंपनियों के अधिकारी और कर्मचारियों के इस आदेश के आधार पर नवगठित कंपनी के कर्मचारी हो जाने पर, उक्त अधिकारी और कर्मचारी उक्त संबंधित निधियों के सदस्य बने रहेंगे और नवगठित कंपनी, इस अधिसूचना की तारीख से, उन कर्मचारियों की बाबत उक्त निधि में अभिदाय करती रहेगी ।

11. चिनपुर और क्लाइव रो निदेशकों की स्थिति—विघटित कंपनियों का प्रत्येक निदेशक जो नियत दिन के ठीक पूर्व, उस हैसियत में पद धारण कर रहा था, नियत दिन को, विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रहेगा ।

12. चिनपुर और क्लाइव रो के लेखा-परीक्षक :—विघटित कंपनियों के लेखा-परीक्षक जो नियत दिन के ठीक पूर्व अपने-अपने पद धारण कर रहे थे, नियत दिन से ही, लेखा-परीक्षक नहीं रहेंगे ।

13. चिनपुर और क्लाइव रो के लाभांश : इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, 31 मार्च 1982 को समाप्त हुए लेखा वर्ष की बाबत विघटित कंपनियों में से किसी के द्वारा संबंधित साधारण शेयरों पर घोषित और संदत्त लाभांश को, यदि कोई हो, इस आदेश के उपबंधों से अपवर्जित किया जाएगा ।

14. चिनपुर और क्लाइव रो का विघटन : इस आदेश के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से :—

(क) चिनपुर और क्लाइव रो में से प्रत्येक का, परिसमापन किए बिना, विघटन हो जाएगा और कोई भी व्यक्ति उनमें से किसी के विरुद्ध अथवा उनके किन्हीं निदेशक या अधिकारी के विरुद्ध उनके इस प्रकार निदेशक या अधिकारी की हैसियत में वहां तक के सिवाय जहां तक इस आदेश के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक हो, कोई दावा, मांग या कार्यवाही नहीं करेगा, और

(ख) विघटित कंपनियों में से किसी के प्रत्येक शेयर-धारक का अधिकार जो उनमें से किसी के शेयर की बाबत या उसमें हो, निर्वापित हो जाएगा और उसके पश्चात् ऐसा कोई भी शेयर धारक ऐसे किसी शेयर की बाबत कोई दावा, मांग या कार्यवाही नहीं करेगा ।

15. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण : कंपनी विधि बोर्ड, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित होने के पश्चात् यथा शीघ्र कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, कलकत्ता को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा और उसकी प्राप्ति पर कंपनी रजिस्ट्रार पश्चिमी बंगाल, नवगठित कंपनी द्वारा विहित फीस का संदाय कर दिए जाने पर आदेश को रजिस्टर में दर्ज करेगा और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक मास के भीतर रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से अधि-प्रमाणित करेगा ।

कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिमी बंगाल, विघटित कंपनियों से संबंधित उसके पास सभी रजिस्ट्रीकृत, अभिलिखित या फाइल की गई दस्तावेजें एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड की फाइल पर रखेगा, जिसके साथ विघटित कंपनियों का समामेलन किया गया है, और उन्हें समेकित करेगा और इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को फाइल पर रखेगा ।

16. नवगठित कंपनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद: एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड के संगम-ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, जैसे कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान थे, नियत दिन से ही, नवगठित कंपनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद हो जायेंगे ।

[सं० 24/3/80 सीएल-I.I]

कंपनी विधि बोर्ड के आदेश से

पी० के० मल्लिक, सदस्य,

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Company Affairs)

(Company Law Board)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1983

S.O. 270(E).—Whereas, the Company Law Board is satisfied that it is essential in public interest that Andrew Yule and Company Limited, a company incorporated under the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) and its two investment subsidiaries, namely Clive Row Investment Holding Company Limited, a company incorporated under the Indian Companies Act, 1913 (VII of 1913) and its wholly owned subsidiary Chitpore Golabari Company Limited, a company incorporated under the Indian Companies Act, 1882 (VI of 1882), each of these three companies begin a company within the meaning of section 3 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), should be amalgamated into a single company;

And whereas, a copy of the proposed order was sent in draft to the companies aforesaid namely, Chitpore Golabari Company Limited, Clive Row Investment Holding Company Limited, and Andrew Yule and Company Limited and no objection or suggestion has been received from them or from any other person by the Company Law Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the notification of the Government of India in the Department of Company Affairs No. GSR 443(E) dated 18th October, 1972, the Company Law Board hereby makes the following order namely :—

1. Short Title.—This order may be called the Chitpore Golabari Company Limited, Clive Row Investment Holding Company Limited and Andrew Yule and Company Limited (Amalgamation) Order, 1983.

2. Definitions.—In this order unless the context otherwise requires :—

(a) 'Appointed day' means the date on which this order is notified in the Official Gazette;

(b) 'Dissolved companies' mean Chitpore Golabari Company Limited (hereinafter referred to as CGC)

and Clive Row Investment Holding Company Limited (hereinafter referred to as CRIHCO)

(c) Resulting company means Andrew Yule and Company Limited (hereinafter referred to as Yule)

3. Amalgamation of the companies.—(i) As from the appointed day, the undertakings of the dissolved companies subject to encumbrances thereon if any, shall stand transferred to and vest in Yule which company shall immediately on such transfer be deemed to be the company resulting from the amalgamation.

(ii) For accounting purposes the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on 31st March, 1982 of the three companies and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved companies shall not be required to prepare their final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the balance sheets as on 31st March, 1982 and accept full responsibility for all transactions thereafter.

Explanation.—The undertakings of the dissolved companies' shall include all rights, powers, authorities and privileges and all properties moveable or immovable including cash balances, reserves, revenue balances, investments and all other interests and rights in or arising out of such properties as may belong to or be in the possession of the dissolved companies immediately before the appointed day and all books, accounts and documents relating thereto and also all debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved companies.

4. Transfer of certain items of property.—For the purpose of this order all the profits or losses or both if any of the dissolved companies as on the appointed day and the revenue reserves or deficits or both if any of the dissolved companies when transferred to the resulting company shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits as the case may be of the resulting company.

5. Saving of contracts etc.—Subject to the other provisions contained in this Order all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved companies are parties subsisting or having effect immediately before the appointed day shall have full force and effect against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectively as if instead of the dissolved companies the resulting company had been a party thereto.

6. Saving of legal proceedings.—If on the appointed day any suit, prosecution, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the dissolved companies be pending, the same shall not abate or be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved companies or of anything contained in this order, but the suit, prosecution, appeal or other legal proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would or might be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved companies if this order had not been made.

7. Rights of the holders of Ordinary Shares in CGC or CRIHCO.—(i) Since the entire issued and subscribed share capital of Rs. 27,01,000 divided into 27,010 ordinary shares of Rs. 100 each fully paid up of CGC is held by CRIHCO and since the undertaking of CRIHCO is vested in Yule by virtue of this Order, the aforesaid holding of CRITCO in the share capital of CGC shall stand cancelled and there will be no issue of shares by Yule because of the amalgamation of CGC with Yule by virtue of this order.

(ii) (a) Out of the total share capital of Rs. 1,38,80,000 divided into 13,88,000 ordinary shares of Rs. 10 each fully paid up in the share capital of CRIHCO, 13,45,896 ordinary shares are held by Yule on the appointed day. Consequently there will be no issue of shares in the capital of Yule in respect of its aforesaid holding of 13,45,896 ordinary shares in the capital of CRIHCO and the aforesaid shares shall stand cancelled by virtue of this order. As to the remaining 42,104 ordinary shares in the capital of CRIHCO, Yule shall issue after the appointed over by allotment at par to the respective holders of the aforesaid 42,104 ordinary shares in CRIHCO ordinary shares in Yule in the proportion of 5 fully paid ordinary shares of Rs. 10 each in Yule for every 4 fully paid ordinary shares of Rs. 10 each in CRIHCO held by them on the date immediately preceeding the appointed day against tender to Yule of the relative share certificate(s) and such ordinary shares to be issued and allotted by Yule will rank pari passu with the existing issued ordinary shares of Yule.

(b) If the allotment of the shares by Yule in terms of sub-clause (a) above involves fractions then such fractions shall be consolidated and the shares so consolidated shall be allotted by the Board of Directors of Yule to any one or more of the Directors or employees of Yule who shall sell the said consolidated shares at such price or prices and upon such terms and conditions as may be approved by the Board of Directors of Yule and the net sale proceeds thereof shall be distributed among the holders concerned of the ordinary shares in CRIHCO who would otherwise have been entitled to such fractions in proportion to their respective entitlements.

(c) The allotment of the ordinary shares by Yule and payment according to sub-clauses (a) and (b) above to a non-resident member of CRIHCO shall be subject to the approval of Reserve Bank of India under the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

(d) Yule shall cause to be published in the Gazette of India and send by registered post to every holder of ordinary shares in CRIHCO (other than Yule) whose name is entered in the Register of Members of CRIHCO on the date referred to in sub-clause (a) above a notice giving particulars of the allotment of new shares by Yule and the disposal of fractional shares in the manner provided in sub-clause (b) above. The above notice shall also mention a date to be fixed by the Board of Directors of Yule within which the respective holders of ordinary shares in CRIHCO (other than Yule) shall surrender to Yule the relative certificate(s) for ordinary shares in CRIHCO and upon such surrender Yule will (i) issue to them certificate( ) for ordinary shares in Yule allotted under sub-clause (a) above and (ii) make payment where due in terms of sub-clause (b) above.

(e) Where any ordinary share in CRIHCO have been duly transferred before the appointed day but they have not been received by CRIHCO for registration of the transfer before the appointed day the transferee of such shares shall be entitled upon submission to Yule on or before the date fixed by the Board of Directors of Yule as referred to in sub-clause (d) above (i) the duly executed instrument of transfer and (ii) the relative certificate(s) of shares in CRIHCO to receive the certificate(s) of shares in Yule in the proportion mentioned in sub-clause (a) above.

(f) Notwithstanding anything contained in this clause the Company Law Board shall have power to settle any question or difficulty whatsoever in regard to the issue and allotment of ordinary shares by Yule in terms of this clause.

Provisions with respect to taxation.—All taxes in respect of the profits and gains of the business carried on by the dissolved companies before the appointed day shall be payable by the resulting company to the same extent as they would have been payable by the dissolved companies if this order had not been made.

9. Provisions respecting existing officers and employees of the dissolved companies.—Every wholetime officer or other employee (excluding the Directors of the dissolved companies) employed immediately before the appointed day in the dissolved companies, shall as from the appointed day, become an officer or employee as the case may be of the resulting company and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions with the same rights and privileges as he would have held the same under the dissolved companies if this order had not been made and shall continue to do so unless and until his employment in the resulting company is duly terminated or until his remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

10. Provident Fund, superannuation fund, welfare fund or other funds established by CGC or CRIHCO.—All officers and employees of the dissolved companies and the resulting company are members of either the State Fund or the several Provident/Superannuation Fund Institutions (established for the benefit of respective employees) and the respective companies have been making their respective contributions to the said funds. With the officers and employees of the dissolved companies becoming employees of the resulting company by virtue of this order, the said officers and employees shall continue to remain members of the said respective Funds and the resulting company shall with effect from the date of this notification continue to make the contributions to the said Funds in respect of these employees.

11. Position of Directors of CGC and CRIHCO.—Every Director of the dissolved companies holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a Director of the dissolved companies on the appointed day.

12. Auditors of CGC and CRIHCO.—The auditors of the dissolved companies holding their respective offices immediately before the appointed day shall cease to be the auditors as such with effect from the appointed day.

13. Dividend of CGC and CRIHCO.—Notwithstanding anything contained in this order, dividend, if any, declared and paid by either of the dissolved companies on their respective ordinary shares in respect of their accounting year ended 31st March, 1982 shall be excluded from the provisions of this order.

14. Dissolution of CGC and CRIHCO.—Subject to the other provisions of this order, as from the appointed day :

(a) each of CGC and CRIHCO shall be dissolved without winding up and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against any of them or against a Director or officer thereof in his capacity as such Director or officer except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this order and

(b) the right of every shareholder of either of the dissolved companies to or in respect of any share in either of them shall be extinguished and thereafter no such shareholder shall make, assert or take any claims, demands or proceedings in respect of any such share.

15. Registration of the order by the Registrar of Companies.—The Company Law Board shall, as soon as may be after this order is notified in the Official Gazette, send to the Registrar of Companies, West Bengal, in Calcutta a copy of this order on receipt of which the Registrar of Companies, West Bengal shall register the order on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof within one month from the date of receipt of a copy of this order.

The Registrar of Companies, West Bengal shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the dissolved companies on the file of Andrew Yule and Company Limited with whom the dissolved companies have been amalgamated and consolidate these and shall keep such consolidated documents on his file.

16. Memorandum and Articles of Association of the resulting company.—The Memorandum and Articles of Association of Andrew Yule and Company Limited as they stood immediately before the appointed day shall, as from the appointed day, be the Memorandum and Articles of Association of the resulting Company.

[No. 24/3/80-CL III]

By Order of the
Company Law Board

P. K. MALLIK, Member

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983